

प्रेषक,

डा0 उमाकान्त पंवार,
सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

✓ 1-परिवहन आयुक्त,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

2-समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

3-महानिदेशक,
भारतीय वानिकी एवं अनुसंधान शिक्षा परिषद,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

परिवहन अनुभाग-1


देहरादून

दिनांक 26 दिसम्बर, 2012

विषय:-राजकीय वाहन पर बतियों के प्रयोग के सम्बन्ध में।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-3-8/परि0स0/उत्तरांचल/2001/245 दिनांक 05-02-2001, शासनादेश संख्या-56/परि0/2003 दिनांक 07-02-2003 तथा शासनादेश संख्या-473/ix/61(परि0)/2002/2006 दिनांक 02-06-2006, शासनादेश संख्या-477/ix/61/02/2009 दिनांक 27-10-2009 एवं शासनादेश संख्या-131/ix/61(परि0)/2011 दिनांक 30-06-2011 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उत्तराखण्ड शासन के सभी प्रमुख सचिव/सचिव एवं महानिदेशक, भारतीय वानिकी एवं अनुसंधान शिक्षा परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून को उनके राजकीय वाहन में टॉप पर नीली बत्ती पलेशर सहित का प्रयोग किये जाने हेतु अधिकृत किया जाता है।


2- शासनादेश संख्या-3-8/परि0स0/उत्तरांचल/2001/245 दिनांक 05-02-2001 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।


(डा0 उमाकान्त पंवार)
सचिव।

संख्या-1078/ix-1/2012/61/2003, तददिनांकित।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड शासन।
- 2- स्टाफ आफिसर-मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 3- पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।
- 4- समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
- 5- गार्ड फाइल।





आज्ञा से
(नितेश कुमार झा)
अपर सचिव।

प्रेषक,

उमाकान्त पंवार,
सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

- 1-आयुक्त, गढ़वाल/कुमाऊ मण्डल, उत्तराखण्ड।
- 2-समस्त जिलाधिकारी
- 3-समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड।
- 4-परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड।

परिवहन अनुभाग-1

देहरादून

दिनांक 27 अक्टूबर 2009

विषय:-राजकीय वाहन पर बत्तियों के प्रयोग के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-3-8/परि0स0/उत्तरांचल/2001/245 दिनांक 05-02-2001, शासनादेश संख्या-56/परि0/2003 दिनांक 07-02-2003 तथा शासनादेश संख्या-473/ix/61(परि0)/2002/2006 दिनांक 02-06-2006 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उत्तराखण्ड राज्य के सभा सचिवों को उनके राजकीय वाहन में टॉप पर लालबत्ती का प्रयोग किये जाने हेतु अधिकृत किया जाता है।

2- शासनादेश संख्या-3-8/परि0स0/उत्तरांचल/2001/245 दिनांक 05-02-2001 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भूदीय
(उमाकान्त पंवार)
सचिव।

संख्या-477/ix/61/2009, तददिनांकित।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड शासन।
- 2- स्टाफ आफिसर-मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 3- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 4- सचिव विधानसभा सचिवालय, उत्तराखण्ड शासन।
- 5- पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।
- 6- समस्त विभागाध्यक्ष।
- 7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से
(विनोद शर्मा)
अपर सचिव।

१८